

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024
IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS.

.....APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

....RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGES	C-FEES
1.	Additional Affidavit filed by the respondent no.8 in respect of clarification of the Hon'ble Tribunal.	1-4	
2.	Copy of Receipt dt. 14/03/2024, 28/03/2024 & 30/03/2024.	5-7	
3.	Copy of order dt. 13/02/2024 in respect of land use.	8	
4.	Copy of order dt. 22/06/2024 in respect of land use.	9	

DELHI

DATE 27-6-2025

THROUGH ADVOCATE

AKHILESH KUMAR SINGH,
ADVOACTE

CH. NO. 605, ROHINI
COURTS, DELHI

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. APPLICANTS

VERSUS


UNION OF INDIA & ORS. RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT

I, DEVESH KUMAR SHARMA S/O LATE. SHRI. DEV SHARMA MISHRA AGED ABOUT 69 YEARS R/O MANJULIKE GARDEN, BAJORIA ROAD SAHARANPUR DISTRICT SAHARANPUR(UP) 247001. Presently at New

Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under:

That the deponent is Respondent no 8 in the above petition and well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit which is prepared by my council under my instructions. The contents of the present affidavit are being understood by the deponent.



[Handwritten signature]

and 30/05/2024. After 2 months for Rs. 40,000.00/- , 1,90,000.00/- and 1,65,000/- respectively (Total 3,95,000.00/-). To imposed the cost upon the deponent and other persons by the forest department Moradabad was illegal and arbitrary but the deponent deposited the cost as it was to be used to remove the pollution understanding the holy duty of the deponent being citizen.

6. That the deponent got received the permission to change the land use vide order dt. 13/02/2024 in Case No. 811/2024 passed by Up Zila Adhikari, (Mandal Moradabad,) Bijnor Tehsil: Bijnor as well as the sold part by the deponent was also converted the land use upon the application in Computer application no. T202413161601811 vide order dt. 13/02/2024.

7. That the UP PCB has sent the notice for recovery of Rs. 3,61,41,229 (Rs. Three crores Sixty-One Lakhs Forty-One Thousand Two Hundred Twenty-Nine). Which was replied by the deponent but the deponent had not received any order passed by UP PCB in respect of recovery for Rs. 3,61,41,229 (Rs. Three Crores Sixty-One Lakhs Fourty One Thousand Two Hundred Twenty-Nine) till today.



J. S. Shekhar

4

8. That the deponent states that he had already filed the reply to the O.A. just after serving the copy of reply to the applicant's Counsel which was not succeeded but the reference no. was issued but today after successful filling it is not showing on the portal or in the Id. of the Counsel.

[Handwritten Signature]

DEPONENT



Verification:

Verified at Delhi on this 26th day of November, 2025 that the contents of the above affidavit from para no. 1 to 8 are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

[Handwritten Signature]

DEPONENT

Devesh Kumar Sharma

Resident of Garden, Bayan Road, Saharanpur, U.P.
26-11-2025

R-8
8



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : बिजनौर, तहसील : बिजनौर
वाद संख्या :- 811/2024

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202413161601811
देवेश कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आया प्रति प्रमाणित



निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री डा० देव शर्मा निवासी मौ० बाजार कला कस्बा मण्डाव परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80(2)उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 दिनांकित 09.02.2024 के आधार पर न्यायालय में प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र-आर०सी० प्रपत्र-25 की जाँच तहसीलदार, बिजनौर से कराई गई। जाँच आख्या प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतीनी 1426फ०-1431फ० के खाता सं० 331 के गाटा सं० 1083 रकबा 1.797हे० में से 0.459हे० गाटा सं० 1093 रकबा 0.686हे० व गाटा सं० 1094 रकबा 0.164हे० कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे० लगान 44.70रु० के देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री डा० देव शर्मा निवासी मौ० बाजार कला कस्बा मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर, संकमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए धारा 80(2) के अन्तर्ग अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है। उक्त भूमि धारा 132 अब नई धारा 77 से बाधित नहीं है तथा उक्त भूमि सैन्यी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। मौके पर अकृषिक प्रयोग में की जा रही है। उक्त आराजी में कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन मत्स्य पालन नहीं हो रहा है। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है तथा सहखातेदार का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि को अकृषि कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अन्त में तहसीलदार बिजनौर द्वारा प्रश्नगत भूमि को फोटोग्राफस हल्का लेखपाल से प्रमाणित संलग्न करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय को प्रस्तुत की गयी।

निर्णय दिनांक पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित हैं। पर धारा पत्रावली व उपलब्ध आर०सी० प्रपत्र-25, वादी ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2024 मय नक्शा नजरी उपरोक्त वर्णित गाटा संख्या, शपथ पत्र, ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के उपरोक्त खसरा नम्बर के आकार पत्र-41 व 43 का भली-भांति अवलोकन किया गया तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 के अनुसार प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्यांकन का दो प्रतिशत अंकन 1,30,526रु० (एक लाख तीस हजार पांच सौ छब्बिस रु) दिनांक 10.02.2024 व ऑनलाईन निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है। अतः उक्त भूमि को धारा 80(2)उ० प्र० राजस्व संहिता-2006 अन्तर्गत अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय प्रार्थना पत्र आर०सी० प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते हैं। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतीनी 1426फ०-1431फ० के खाता सं० 331 के गाटा सं० 1083 रकबा 0.797हे० में से 0.459हे० गाटा सं० 1093 रकबा 0.686हे० व गाटा सं० 1094 रकबा 0.164हे० कुल 03 खेत कुल रकबा 1.309हे० लगान 44.70रु० भूमि को धारा 80(2) उ० प्र० राजस्व संहिता-2006 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभाव नहीं होगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमत्त होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरुद्ध किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरुद्ध होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 09.02.2024 मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप-निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 13.02.2024

राज्यपाल सिंह

उपजिलाधिकारी (सदर) बिजनौर

300
16-2-24
13-2-24
13-2-24



R-8

9

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

छायाप्रति प्रमाणित

जनपद - बिजनौर, तहसील - बिजनौर

कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या : T802024006185

आवेदक का नाम :- मौ० हासिम

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश का प्रकार :- अंतिम आदेश



निर्णय

प्रस्तुत याद की कार्यवाही वादी मौ० हासिम पुत्र मौ० फारुख निवासी मौ० बाजार मंगल करबा मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80(2)उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 दिनांकित 15.03.2024 के आधार पर न्यायालय में प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र-आर०सी० प्रपत्र-25 की जाँच तहसीलदार, बिजनौर से कराई गई। जाँच आख्या प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 में उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ०-1431फ० के खाता सं० 330 के गाटा संख्या 1091 रकबा 0.455है० में से 0.2275है० तथा खाता संख्या 331 गाटा संख्या 1083 रकबा 0.797है० में से अपने 1/2 भाग यानि 0.338 है० व गाटा संख्या 1089 रकबा 0.341 है० सम्पूर्ण कुल 03 खेत कुल रकबा 1.593है० लगान 50.10 रु० में से 0.9065है० लगान 28.50रु० के मौ० हासिम पुत्र मौ० फारुख निवासी मौ० बाजार मंगल करबा मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर, संकमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है। उक्त भूमि धारा 132 अब नई धारा 77 से बाधित नहीं है तथा उक्त भूमि तैन्वरी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। मौके पर अकृषिक प्रयोग में की जा रही है। उक्त आराजी में कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन नहीं हो रहा है। आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भयना हो। आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है तथा सहखातेदार का हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के अकृषिक कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अन्त में तहसीलदार बिजनौर द्वारा प्रश्नगत भूमि के फोटोग्राफस हल्का लेखपाल से प्रमाणित संलग्न करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय को प्रस्तुत की गयी।

नियत दिनांक पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित हैं। मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध आर०सी० प्रपत्र-25, वादी के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 मय नवशा नजरी उपरोक्त वर्णित गाटा संख्या, शपथ पत्र, ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के उपरोक्त खसरा नम्बर के आकार पत्र-41 व 45 का भली-भाँति अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 के अनुसार प्रार्थना के द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सर्फैल रेट के अनुसार आगणित मूल्यांकन का दो प्रतिशत अंकन 90,884रु० (नब्बे हजार आठ सौ चौरासी रु) दिनांक 27.04.2024 को ऑनलाईन निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है। अतः उक्त भूमि को धारा 80(2)उ० प्र० राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।


आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय प्रार्थना पत्र आर०सी० प्रपत्र-25 अन्तर्गत धारा 80(2)उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 स्वीकार किये जाते हैं। भूमि स्थित ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर की उद्धरण खतौनी 1426फ०-1431फ० के खाता सं० 330 के गाटा संख्या 1091 रकबा 0.455है० में से अपने 1/2 भाग यानि 0.2275है० तथा खाता संख्या 331 गाटा संख्या 1083 रकबा 0.797है० में से अपने 1/2 भाग यानि 0.338 है० व गाटा संख्या 1089 रकबा 0.341 है० सम्पूर्ण कुल 03 खेत कुल रकबा 1.593है० लगान 50.10 रु० में से 0.9065है० लगान 28.50रु० भूमि को धारा 80(2) उ० प्र० राजस्व संहिता-2006 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल अकृषिक प्रयोग के लिए की जा रही है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण मुआवजे पर प्रभावी नहीं होगी। उक्त भूमि पर किराी भी प्रकार का निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर के संगत नियमों के अनुसार अनुमत्य होगा। जिला पंचायत में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरुद्ध किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरुद्ध होगा जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत बिजनौर को होगा। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यह घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 23.04.2024 मय नजरी नवशा आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप-निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 04.05.2024

(मनोज कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी, (सदर) बिजनौर।

उपजिलाधिकारी, बिजनौर



out:blank

418-
गमा पत्र का दि. 27-8-24
नया नियासी का दि. 27-8-24
नया नया का दि. 27-8-24
नया की धनराशि 1350